

A7
1

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी

पीठासीन अधिकारी—

श्री अमानुल्लाह खान
आर.ए.एस.

मिसल संख्या

तारीख दायरा

तारीख फैसला

104 / प्रा.पत्र / 2018

25.07.2018

11.08.2021

श्री अरुण सक्सेना, खा0सु0अधिकारी क्षेत्र कोटा जोन कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, कोटा। हाल मुकाम—चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा।

—प्रार्थी

—बनाम—

श्री जगमोहन सिंह पुत्र श्री अजमेर सिंह निवासी—गेट नं. 4 के सामने, नैनवा रोड, बून्दी (विक्रेता एवं मालिक)। मैसर्स पंजाब डेयरी, गेट नं. 4 के सामने, नैनवा रोड, बून्दी।

—अप्रार्थी

जुर्म अंतर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii)
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006

उपस्थित—

प्रार्थी की ओर से—श्री अरुण सक्सेना, खा0सु0अधिकारी क्षेत्र कोटा जोन के स्थान पर श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बून्दी
अप्रार्थी की ओर से—श्री रघुवीर सिंह राणावत एड0

—: निर्णय :-

श्री अरुण सक्सेना, खा0सु0अधिकारी क्षेत्र कोटा जोन कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, कोटा द्वारा प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर न्याय निर्णयन हेतु प्रार्थना—पत्र में निम्नांकित बिन्दु अंकित किये हैं:—

1. मैं अरुण सक्सेना, दिनांक 31.01.2018 कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, कोटा में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादन कर रहा हूँ मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक एच/एफएसएसए/नोटिफिकेशन/2011/727 दिनांक 29.11.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियाँ प्रयुक्त करने के लिये नियुक्त किया गया है। श्रीमान आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर के आदेश एच/एफएसएसए/(एफ-28)/नोटिफिकेशन/2012/172 दिनांक 01.02.2012 के अनुसार मुझे ब्राज सील नम्बर 84 व कार्य क्षेत्र कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकि0 एवं स्वा0 सेवाएँ, जोन, कोटा आवंटित किया गया है और अधिसूचना क्रमांक एफएसएसए/नोटिफिकेशन/2012/437 दिनांक 09.01.2012 के अनुसार कोटा जोन के अंतर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र में आते हैं। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियाँ इस्तगासे के साथ संलग्न हैं।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

एवं

न्याय निर्णयन अधिकारी

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 31.01.2018 को समय 12:30 पी.एम. पर नमूनीकरण एवं निरीक्षण हेतु मैसर्स पंजाब डेयरी, गेट नं. 4 के सामने, नैनवा रोड, बून्दी स्थित प्रतिष्ठान पर पहुंचा। वहां पर श्री जगमोहन सिंह पुत्र श्री अजमेर सिंह निवासी गेट नं. 4 के सामने, नैनवा रोड, बून्दी, विक्रेता एवं मालिक की हैसियत से उपस्थित थे। वास्ते निरीक्षणार्थ खाद्य लाईसेन्स/रजिस्ट्रेशन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया।

3. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि उक्त प्रतिष्ठान पर एक डीप फ्रिज में एक एलुमिनियम की कैन में करीब 20 लीटर दूध (भैंस) रखा हुआ था जिनका खाद्यकारोबारकर्ता आम जनता को बेचान कर रहा था। दूध (भैंस) में मिलावट का शक होने पर उक्त दूध (भैंस) का नमूना जांच हेतु लेने की लिखित सूचना फार्म नं. 5ए पर देते हुये 2 लीटर दूध (भैंस) एक साफ सुखी स्वच्छ स्टील की भगोनी में जांच वास्ते खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को रु. 80/- नगद देकर खरीद रसीद प्राप्त की।
4. तत्का. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर ही खरीदशुदा खाद्य पदार्थ दूध (भैंस) के 2 लीटर को उसी साफ सुखी स्वच्छ भगोनी में एकरूप चार कांच की शीशीयों में डालकर प्रत्येक में फार्मेलीन की 40-40 बूंदे डालकर एयरटाइट बंद किया। नमूने के प्रत्येक भाग पर निर्धारित लेबल लगाये और लेबलों पर खाद्य पदार्थों का विवरण एवं डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक एई-721 दर्ज किया तथा प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर दोनों किनारों को गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. कोटा द्वारा जारी एवं हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. एई-721 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर चार-चार जगह नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। गवाहों एवं उन्होंने चारों नमूना भागों पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूना लेकर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौके पर नियमानुसार कार्यवाही कर फर्द रिपोर्ट तैयार की और पढकर सुनाई जिसे समझकर विक्रेता एवं गवाहों ने हस्ताक्षर किये एवं मैंने भी हस्ताक्षर किये।
5. तत्का. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार की एवं उन पर सील इम्प्रेसन उसी सील से लगाया जिससे मौके पर नमूना को सील चपड़ी किया गया। एक नमूना भग मय फार्म सं. 6 की प्रति आउटर कवर में सील मोहर किया एवं फार्म सं. 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर जोन कार्यालय, कोटा के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री रघुनाथ मीणा द्वारा श्रीमान खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील्ड नमूने मय फार्म नं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील मोहर कर तथा नमूने का चौथा भाग को मय फार्म नं. 6 के अभिहित अधिकारी एवं उपनिदेशक कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें परिक्षेत्र, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।
6. आवेदक तत्का. खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं उपनिदेशक कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें परिक्षेत्र, कोटा के पत्र क्रमांक एफएसएसए/46(4)/2018/32 दिनांक 11.02.2018 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य

सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. 45/एफएसएसए/कोटा/एक्ट/2018/63 दिनांक 07.02.2018 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया दूध (भैंस), सबस्टेण्डर्ड (Substandard) पाया गया।

7. आवेदक तत्का. खाद्य सुरक्षा अधिकारी, द्वारा खाद्य कारोबारकर्ता श्री मांगीलाल पुत्र श्री प्रभूलाल गुर्जर को उसके प्रतिष्ठान के मालिकाना हक, खाद्य अनुज्ञा पत्र बाबत कार्यालय पत्रांक 44 दिनांक 13.03.2018 द्वारा लिखा गया, पत्र के उत्तर में खाद्य कारोबारकर्ता श्री मांगीलाल पुत्र श्री प्रभूलाल गुर्जर द्वारा स्वयं को उक्त प्रतिष्ठान का विक्रेता मालिक एवं निर्माता जाहिर करते हुये खाद्य अनुज्ञा पत्र एवं स्वयं के ड्राईविंग लाईसेन्स की स्वप्रमाणित की छायाप्रति प्रस्तुत की।
8. श्रीमान उप निदेशक एवं अभिहित अधिकारी जाने कोटा के पत्रांक 82 दिनांक 22.06.2018 द्वारा प्रकरण को वास्ते न्यायनिर्णयन आवेदन पेश करने बाबत स्वीकृति जारी की गई।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अप्रार्थी एक छोटा व्यापारी हैं। अप्रार्थी ने दूध (भैंस) में किसी भी तरह की मिलावट नहीं की है। अप्रार्थी द्वारा साफ सफाई व गुणवत्ता का ध्यान रखा जाता है। भविष्य में ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगा जिससे जान माल की हानि हो। सहानुभूति का रूख अपनाते हुए निर्णय करने की कृपा करे।

बहस प्रार्थी व अप्रार्थीगण समाप्त की गई।

बवकत बहस खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री अरूण सकसेना के स्थान पर श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता (खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बून्दी) न्यायालय में उपस्थित जिन्होंने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अप्रार्थी अपने सबस्टेण्डर्ड (Substandard) खाद्य पदार्थ दूध (भैंस) का विनिर्माण, भण्डारण एवं विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन कर, एवं खाद्य रजिस्ट्रेशन/लाईसेन्स के खाद्य पदार्थ विक्रय कर, धारा 51 का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माना आरोपित किया जावे।

अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बवकत दोराने बहस जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये व्यक्त किया कि अप्रार्थी एक छोटा व्यापारी हैं। अप्रार्थी ने दूध (भैंस) में किसी भी तरह की मिलावट नहीं की है। अप्रार्थी द्वारा साफ सफाई व गुणवत्ता का ध्यान रखा जाता है। भविष्य में ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगा जिससे जान माल की हानि हो। सहानुभूति का रूख अपनाते हुए लोक अदालत की भावना से निर्णय करने की कृपा करे।

हमने बहस प्रार्थी व अप्रार्थी के वकील पर मनन किया जाकर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अद्योपान्त अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध सभी दस्तावेजात निर्धारित प्रपत्र में व समय अवधि में नियमानुसार है। अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना दूध (भैंस) खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा की जांच रिपोर्ट में सबस्टेण्डर्ड (Substandard) घोषित किया गया है। अप्रार्थी ने अपने प्रतिष्ठान पर सबस्टेण्डर्ड (Substandard) खाद्य पदार्थ दूध (भैंस) का खाद्य लाईसेन्स/रजिस्ट्रेशन के खाद्य पदार्थ का भण्डारण एवं विक्रय कर धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन कर आम जनता को विक्रय कर उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड कर रहा है जिसके लिए अप्रार्थी दोषी है। अप्रार्थी श्री जगमोहन सिंह पुत्र श्री अजमेर सिंह निवासी गेट नं. 4 के सामने, नैनवा रोड,

AF
4

मसर्स पंजाब डेयरी, गेट नं. 4 के सामने, नैनवा रोड, बून्दी के मालिक/लाईसेन्स धारक है उक्त सबस्टेण्डर्ड (Substandard) खाद्य पदार्थ दूध (भैंस) की विक्रय हेतु आपूर्ति की गई है। अप्रार्थी का कृत्य दोषसिद्ध होने से खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अप्रार्थी को 5,000/- (अक्षरे-पांच हजार रुपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। उक्त दण्ड की राशि अप्रार्थी जरिये डी.डी. या सम्बन्धित मद में जरिये चालान जमा करवाकर रसीद पेश करें। पत्रावली फ़ैसल में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

एवं
(अमानुष बाह खान, RAS)

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी